न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 240/14/ दुरूस्ती

1. रतनलाल उम्र 47
2. भंवरलाल उम्र 34 वर्ष
3. सुखदेवाराम उम्र 28 वर्ष

पुत्रगण लादुराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम करणपुरा तहसील व जिला सीकर

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
2. भगवानाराम उम्र 38 वर्ष
3. सागरमल उम्र 36 वर्ष

पुत्रगण लादुराम दो ता तीन जाति जाट निवासीगण ग्राम करणपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत रिकार्ड संशोधन/दुरूस्ती नक्शा ट्रेश

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर से
2. श्री कमलकुमार वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय   दिनांक– 14.03.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नं. पुराना 949 रकबा 40 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम करणपरुा प.मं. खूड़ तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसके नये खसरा नं. 349, 350 किता 2 कुल रकबा 5.44 है0 एवं भूमि खसरा नं. 346 रकबा 4.73 है0 नवसृजित किये गये है जिसमें से भूमि नये खसरा नं. 349 व 350 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा है। उपरोक्त कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस सैटिलमेंट से पूर्व में खसरा नं. व सीमांकन का स्पष्ट अंकन है तथा इसके बाद नया सैटिलमेंट होने पर उपरोक्त भूमि के नये खसरा नं. 349, 350 व 346 बने है एवं नये खसरा नं. के आधार पर नया नक्शा पुराने नक्शे के आधार पर तैयार किया गया तो भूप्रबन्ध के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूल व सहवन से नया नक्शा ट्रेश तैयार करते समय नये भूमि खसरा नं. 350 के दक्षिणी सीमा पर पूर्व पश्चिम गलती से रास्तानुमा रेखांकन दर्शाया गया है जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं न ही पूर्व में कभी कोई रास्ता इस भूमि में से रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। सहवन से वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमियों में से बिना किसी आधार दर्शित

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

किये गये रास्तुनुमा रेखांकन से वादीगण के कब्जे काश्त पर कोई प्रभाव नहीं है। मोके पर संपूर्ण रकबा पर वादीगण काबिज काश्त है तथा मौके पर भी मुताबिक रकबा सीमा कायम है। भविष्य संदर्भ के लिए इस प्रकार की त्रुटि सुधार किया जाना आवश्यक है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हक व अधिकार एक समान ही है परन्तु वे वर्तमान में आजीविका अर्जन हेतु गांव से बाहर होने से इनको औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि रिकार्ड संशोधन इस आशय का फरमाया जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि पुराना खसरा नं. 949 के नक्शा ट्रेश के मुताबिक नया खसरा नं. 346, 349, 350 का नक्शा तैयार करते समय भूमि खसरा नं. 350 में से दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे रास्तानुशा रेखांकन दर्शाया गया है जिसको संशोधित करते हुए पूर्वानुसार नक्शा ट्रेश जारी किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री कमल कुमार उपस्थित हुए। तहसीलदार, दांतारामगढ को रिपोर्ट ली गई। नायब तहसीलदार (राजकीय पैरोकार) दांतारामगढ द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जो शामिल मिसल की गई।

3. हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद में अंकित अनुसार दुरूस्ती की जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने दुरूस्ती किये जाने में आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

4. हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व नायब तहसीलदार (राजकीय पैराकार), दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ग्राम करणपुरा (खूड़) का गत आराजी ख.नं. 949 हाल ख.नं. 349/0.04, 350/5.40 आदि में गत सैटलमेंट में गत ख.नं. के दक्षिण पूर्वी सीमा पर कोई कटाण का तथा मौके पर कोई रास्ता नहीं था उक्त खसरा नं. का नया ख.नं. 350 है जिसकी वर्तमान खातेदारी रतनलाल भगवानाराम, सागरमल, भंवरलाल, सुखदेवाराम पि. लादुराम जाति जाट के नाम दर्ज है, के दक्षिण पूर्व कोने पर वर्तमान में भी कोई रास्ता मौके पर नहीं है उक्त रास्ता ख.नं. 350 के दक्षिण में खसरा नं. 366 में चालू है तथा भाई बंटवारा के हिसाब से भी उक्त रास्ता खसरा नं. 366 में ही लागू है। भू प्रबन्ध द्वारा हाल सर्वे में त्र ुटिवश खसरा नं. 350 में रास्ता दर्ज कर दिया जा त्रुटि से हुआ है। अतः उक्त दुरूस्ती में कोई राज्यहित प्रभावित नहीं होता है। प्रकरण दुरूस्ती योग्य है। ग्राम खूड़ के गत खसरा नं. 949 पुराना नक्शा ट्रेश में रास्ता का अंकन नहीं है। सैटिलमेंट के दौरान तैयार नवीन नक्शा ट्रेश नवीन ग्राम करणपुरा प.मं. खूड़ के नवीन खसरा नं. 346, 349, 350 के नक्शा ट्रेश में खसरा नं. 350 के दक्षिणी सीमा पर डोटेड लाईन का अंकन है लेकिन नायब तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

(राजकीय पैरोकार) दांतारामगढ की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वर्तमान खसरा नं. 350 के दक्षिण पूर्व कोने में कोई रास्ता नहीं है खसरा नं. 350 के दक्षिण में खसरा नं. 366 में रास्ता चालू बताया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम खूड़ के पुराने खसरा नं. 949 जिसके नवसृजित ग्राम करणपुरा के नवीन खसरा नं. 350 में अंकित डोटेड लाईन रास्ते को राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट अनुसार पूर्व खसरा नं. 949 के अनुसार नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती किये जाने हेतु तहरीर जारी हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 14.03.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner